

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद इटावा में इटावा नुमाइश पण्डाल का विस्तारीकरण (सी०सी०फर्श व अवशेष क्षेत्र का पण्डाल ग्रीन रूम का निर्माण) कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2080/स०नि०-6(13) 2006 टीसी, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में इटावा नुमाइश पण्डाल का विस्तारीकरण (सी०सी०फर्श व अवशेष क्षेत्र का पण्डाल ग्रीन रूम का निर्माण) कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित लागत रुपये 5,99,57,000/- (रुपये पाँच करोड निन्यानवे लाख सत्तावन हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 782/चार-2013-231(वि)/12, दिनांक 31 मार्च,2013 तथा शासनादेश संख्या- 2151/चार-2013-231(वि)/12, दिनांक 30 जुलाई,2013 द्वारा क्रमश धनराशि रू० 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) तथा रुपये 3,00,00,000/- (रुपये तीन करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रुपये 2,49,57,000/- (रुपये दो करोड उन्नचास लाख सत्तावन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी०एल०ए०/पोस्ट आफिस/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- शासनादेश संख्या- 782/चार-2013-231(वि)/12, दिनांक 31 मार्च,2013, शासनादेश संख्या- 2151/चार-2013-231(वि)/12, दिनांक 30 जुलाई,2013 तथा शासनादेश संख्या- 2151/चार-2013-231(वि)/12, दिनांक 30 जुलाई,2013 में उल्लिखित अन्य शर्तें आदि यथावत रहेगीं।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी और प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त दूसरी किश्त अवमुक्त की जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार सी०एण्ड डी०एस० जल निगम लखनऊ को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

5- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन

धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पूर्ण कर लिया जाय।

7- प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्टक्चर पर निर्माण कराया जाना, सामान्य फाउण्डेशन के स्थान पर फाइल/राफ्ट फाउण्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- कार्य पूर्ण होने पर निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

10- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अधीन लेखाशीर्षक- 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -27- इटावा नुमाइश पण्डाल का विस्तारीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)

विशेष सचिव

संख्या- 08/3097(1)/चार-2014 तददिनांक

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, इटावा।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

- 5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-23, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, इटावा।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
- 8- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)

अनु सचिव

<http://shasanadesh.upnic.in>